681 Date 13/04/22

M.50

18/04/22

14/4/22

पत्रांकः– झा.रा.म.भो.प्रा.–88/2017.....214...../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 13/04/2022

विषय :– **कोरोना काल में विद्यालय बंद अवधि में कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आयोग का पत्रांक 356 दिनांक 05.04.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कोविड–19 के कारण विद्यालय बंद अवधि में विद्यालय में अर्हताधारी छात्र/छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने से संबंधित वस्तुस्थिति वर्षवार निम्नवत् है–

क. वित्तीय वर्ष 2020–21 में सभी अर्हताधारी छात्र/छात्राओं को देय खाद्यान्न एवं कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

ख. वित्तीय वर्ष 2021–22 में 01.04.2021 से विद्यालय संचालन होने के पूर्व तक के लिए देय खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए अर्हताधारी छात्र/छात्राओं के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

ग. राज्य के 17 जिला में 04.02.2022 से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया एवं 7 जिला (पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, राँची, सिमडेगा, बोकारो, देवघर एवं चतरा) में 07.03.2022 से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया है। विद्यालय का संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एवं पूरक पोषाहार (अंडा/फल) अर्हताधारी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

13/4/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

18.4.22